शोध मंथन, 2017 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 3.8942 (ICRJIFR)
UGC Aproved Journal No. 40908

भारतीय लोकतंत्र और मीडिया : एक विश्लेषण

डॉ0 नीलिमा सिंह
एसो0 प्रोफे0, राजनीतिशास्त्र विभाग, राजर्षि टण्डन महिला महाविद्यालय, (संघटक इलाहाबाद विश्वविद्यालय), इलाहाबाद, उ0प्र0

सारांश

भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक देश है और भारत में मीडिया ने अपनी जड़े गहरी जमा ली हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में भारत को 'सम्प्रभु धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य' घोषित किया गया तो लोकतंत्र शब्द हमारा एक अभिन्न अंग बन गया। भारत में मीडिया को प्रजातंत्र का चतुर्थ स्तम्भ कहा जाता है। मीडिया के अन्तर्गत प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों ही सम्मिलित हैं और इसके विकास का एक लम्बा इतिहास है। मीडिया की स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लोकतंत्र का आधार है। मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी है और अपनी इस भूमिका के प्रभावशाली निर्वहन हेतु मीडिया का निष्पक्ष एवं सक्रिय होना आवश्यक है। कुछ उदाहरण हैं जो मीडिया की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं परन्तु इन कुछ उदाहरणों से सम्पूर्ण मीडिया जगत को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रपत्र में भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की सकारात्मक एवं नकारात्मक भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

***संकेत शब्द**–मीडिया, पेड न्यूज, लोकतंत्र, स्टिंग ऑपरेशन।*

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

डॉ0 नीलिमा सिंह,
''भारतीय लोकतंत्र और मीडिया : एक विश्लेषण'',
शोध मंथन जून 2017,
पेज सं0 69–74
Shttp://anubooks.com/?page_id=2030
Artcile No.12(SM419)

डॉ0 नीलिमा सिंह

प्रस्तावना

भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का सामान्य अर्थ लोकप्रिय सम्प्रभुता पर आधारित शासन से है। यह वह व्यवस्था है जो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के विविध अधिकार व स्वतंत्रताएँ प्राप्त होती हैं जिसमें भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित कर ली है। जहाँ तक मीडिया की बात है, इससे हमारा अभिप्राय व्यापक स्तर पर सूचनाओं के संप्रेषण में लगे माध्यमों से है। दूसरे शब्दों में सूचना को प्रकाशन, संपादन, लेखन अथवा प्रसारण के कार्य में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक माध्यमों से आगे बढ़ने की कला को मीडिया कहते हैं। यदि हम गहनता से इस पर विचार करें तो पाते हैं कि मीडिया दो तरह की हैं – प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया। पत्र–पत्रिकाएँ, पम्फलेट आदि प्रिन्ट मीडिया के अन्तर्गत आते हैं। वहीं रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, फिल्म व ई–मेल आदि इलेक्ट्रानिक मीडिया के भाग हैं।[1] आज के समय में इलेक्ट्रानिक मीडिया का ही एक भाग सोशल मीडिया के नाम से लोकप्रिय हो रहा है। जिसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से प्रभावी फेसबुक, व्हाट्सअप, टिवट्र, ब्लॉग आदि हैं।

लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस आवश्यक है। भारत में प्रेस का एक लम्बा इतिहास रहा है। ब्रिटिष सरकार ने प्रेस को नियंत्रित करने के लिए अनेक विधियों का निर्माण किया जिसमें इण्डियन प्रेस एक्ट 1910 और 1931–32 – इण्डियन प्रेस (इमरजेन्सी) अधिनियम आदि उल्लेखनीय हैं। स्वतंत्रता पश्चात् संविधान निर्माताओं ने प्रेस की स्वतंत्रता पर विशेष जोर दिया। संविधान में भाशण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा नागरिकों को भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। इसी तथ्य को समय–समय पर उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा स्थापित किया है। प्रेस की स्वतंत्रता की महत्ता को स्पश्ट करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान इसे स्वराज्य का एक आवश्यक कारक माना। गाँधी जी के अनुसार भाशण की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता की पुनः स्थापना ही स्वराज का मूल ध्येय है।[2]

मीडिया की स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लोकतंत्र का आधार है। मीडिया संसार में तथा हमारे चारों ओर घटित होने वाली सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियों के प्रति हमें जागरुक करता है। यह वह दर्पण है जो हमें जीवन के कड़वे सत्य और कटु वास्तविकताओं को हमें दिखाता है या दिखाने का प्रयास करता है। लोकतंत्र का एक बड़ा साधन निर्वाचन है और मीडिया पिछले कुछ वर्शों में अति सक्रिय हुआ है। टी0वी0 न्यूज चैनल्स निर्वाचन से पूर्व राजनीतिज्ञों को उनके द्वारा किये गये वायदों को याद दिलाते हैं और जनसाधारण विशेष रूप से निरक्षर व्यक्ति को सही व्यक्ति का निर्वाचन करने में सहायता प्रदान करते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिज्ञों को अपने आष्वासनों को पूरा करने का दबाव डालते हैं। मीडिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के छिद्र–बिन्दुओं को उजागर कर सरकार को उन्हें दूर

करने के लिए प्रेरित करती है और सरकार को अधिक जवाबदेह, उत्तरदायी और नागरिकों के अनुरूप बनाने के सहायता करती है। मीडिया के बिना लोकतंत्र बिना पहिये के वाहन के समान है। मीडिया ही स्वस्थ जनमत निर्माण का साधन है।

मीडिया ने भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों एवं सदस्यों के नैतिक अवमूल्य एवं भ्रष्टाचार को अपने स्टिंग आपरेशन के द्वारा सबके सामने प्रस्तुत किया है। इस तरह के सत्य अन्वेषण एवं तथ्यों की प्रस्तुति से जनता जनार्दन अपने प्रतिनिधियों के कृत्यों से न केवल अवगत होती है वरन् भविश्य के लिए सचेत भी होती है। मीडिया द्वारा किये गये विविध स्टिंग ऑपरेषन में ऑपरेषन दुर्योधन एवं ऑपरेषन चक्रव्यूह विशेष उल्लेखनीय हैं। मीडिया द्वारा किये गये इन ऑपरेषन ने हमारे सम्मुख इस तथ्य को रक्खा कि हमारे नेतागण किस प्रकार अपने विशेषाधिकार को कितने सस्ते में बेचने को तैयार हैं बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि संसद और अपने अधिकार को यह किस नजर से देखते हैं। करीब दस महीने तक चले ऑपरेशन दुर्योधन ने जाहिर कर दिया कि कैमरे का सही इस्तेमाल करते हुए जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की करतूतों का भण्डाभोड़ किया जा सकता है। संसद में सवाल उठाने के नाम पर पैसे लेने वाले सांसदों की सूची जब मीडिया ने जनता के सामने सब प्रमाणों के साथ प्रस्तुत की तो भारतीय लोकतंत्र का बदशक्ल चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया। इसी तरह चक्रव्यूह स्टिंग ऑपरेशन में सांसद होने के अहंकार में वे यह भूल गए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया भी लोकतंत्र का एक मजबूत आधार स्तम्भ है।[3]

इन्टरनेट क्रान्ति के दौर में सोषल मीडिया प्लेट फॉर्म्स के रूप में दुनिया को एक बेहतरीन तोहफा मिला है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, गूगल प्लस और ऐसे अनेक प्लेटफार्म पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने की ताकत रखते हैं। एक स्टडी के अनुसार 2014 भारत के लोकसभा चुनाव में लगभग 150 सीटों पर सोशल मीडिया ने जीत में अपनी भूमिका निभाई थी। वहीं दिल्ली राज्य के बहुचर्चित चुनाव में अरविन्द केजरीवाल द्वारा नवगठित पार्टी ने 80 फीसदी कैम्पेन सोशल मीडिया के द्वारा किया और परिणाम पूरी दुनिया ने देखा। आज छोटे से लेकर बड़ा नेता ट्विटर अकाउन्ट द्वारा जनता तक अपने सन्देश भेजता है परन्तु यही प्लेटफार्म कभी–कभी नफरत एवं अपशब्दों का सहारा बन जाता है।[4] व्हाट्सअप ऐसा माध्यम है जिसे सदुपयोग किया जाये तो सूचनाओं का आदान–प्रदान आसानी से हो जाता है परन्तु इसके द्वारा भी मिथ्या जानकारी, झूठी अफवाहें फैलाने का कार्य किया जा रहा है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों एवं उनके समर्थकों और यहाँ तक कि मीडिया समर्थित व्हाट्सअप समूह बने हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध गलत भाषा एवं सूचनाओं का प्रयोग कर अपवाह फैलाने का कार्य करते हैं तथा भारतीय लोकतंत्र को अस्थिर करने का दुष्चक्र भी। अभी हाल ही में सहारनपुर में हुए साम्प्रदायिक तनाव में भीमसेना अध्यक्ष द्वारा व्हाट्सअप का प्रयोग सामने आया है। इसके माध्यम से एक जानकारी बड़ी आसानी से जन–जन तक पहुँच जाती है या वाइरल हो जाती है। जम्मू कष्मीर में भी ऐसी ही शिकायतें मिली है। इसीलिए अधिक तनाव व अशांति की स्थिति में सरकार द्वारा वहाँ इण्टरनेट सेवा बाधित कर दी जाती है।

डॉ0 नीलिमा सिंह

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया व जनसंचार साधनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है परन्तु वहीं मीडिया का एक वर्ग बिकाऊ मीडिया या 'पेड न्यूज' के माध्यम से जनता को वास्तविक मुद्दों से भटकाकर गलत सूचनाएँ प्रदान कर, जनमानस को भ्रमित कर भारतीय लोकतंत्र को चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। पेड न्यूज का अर्थ है प्रमुख मीडिया घरानों को अपने पक्ष में प्रभावी समाचार प्रसारित व प्रकाषित करने के लिए भुगतान देना। ऐसे समाचार सामान्यतः राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों और सेलिब्रेटीज द्वारा अपनी सार्वजनिक छवि को सुधारने के लिए प्रकाशित करवाये जाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे सौ से अधिक मामलों को पकड़ा है जहाँ राजनीतिज्ञों ने समाचार पत्रों और टी0वी0 चैनलों को पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट प्रसारित/प्रकाशित करने के लिए भुगतान किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक चव्हाण से 2010 में निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज से सम्बन्धित कोष की पूछताछ की थी। नवम्बर 2008 के मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन में नरोत्तम दास, राज्य मंत्रिमंडल सदस्य पर भी निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे ही आरोप लगाये गये। अक्टूबर 2011 में उत्तर प्रदेष के बिसौली से निर्वाचित उमलेष यादव प्रथम विधायिका सदस्य बनीं जिन्हें अपने चुनाव प्रचार में विज्ञापन पर खर्च किये गये व्यय का विवरण न दे पाने के कारण अयोग्य घोशित किया गया। वर्श 2009 से 2013 के बीच 17 राज्यों में निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज से सम्बन्धित 1400 से अधिक मामले चिन्हित किये।[5] दीपक चौरसिया (आज तक) पर भी ऐसी न्यूज के लिए आरोप लगे। पेड न्यूज एक ऐसी समस्या है जिसे रोकना और पकड़ना दुष्कर कार्य है। बड़े–बड़े मीडिया घराने, उद्योगपति इससे जुड़े हैं और सबके अपने निहित स्वार्थ इसे रोकने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

लोकतंत्र में निर्वाचन का विशेष महत्व है और ओपिनियन पोल एवं एक्जिट पोल के द्वारा मीडिया निर्वाचन प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। जहाँ ओपिनियन पोल वास्तविक चुनाव को पहले मतदाताओं पर किये गये सर्वे पर आधारित होता है वहीं एक्जिट पोल मतदान केन्द्र से बाहर आ रहे मतदाता का अध्ययन और विश्लेषण है। मतदाताओं के एक खास सैम्पल को आधार मानकर उनकी मतदान व्यवहार सम्बन्धी जानकारी हासिल की जाती है और इससे प्राप्त सूचनाओं व आंकड़ों का विश्लेषण करके यह बताया जाता है कि अमुक चुनाव में मतदान व्यवहार की क्या प्रवृत्तियाँ होंगी जिनके आधार पर राजनीतिक पंडित चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी करने के लिए प्रयोग करते हैं। एक्जिट पोल ने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। 1990–91 में प्रणव राय एवं विनोद दुआ द्वारा प्रारम्भ इस तरह के सर्वे व विश्लेषण इतने लोकप्रिय हो गए कि डेढ़ दर्जन से भी ज्यादा टी0वी0 चैनल्स व समाचार पत्र–पत्रिका समूह ऐसे सर्वेक्षण में लगे हैं। राजनीतिक दल स्वयं ऐसे सर्वेक्षण कराते हैं और लाखों रुपये लगाकर करोड़ों रुपये कमा लिये जाते हैं।[6]

भूमण्डलीकरण के युग में मीडया ने समाचार की नई परिभाषा बनाई है 'समाचार वही जो व्यापार बढ़ाये'। बाजार व पूंजी के तर्क मीडिया पर इतने हावी कभी नहीं रहे जितने आज हो गये हैं। आज भारतीय मीडिया पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे बाजार और उपभोक्ता संस्कृति का साथ निभानेवाली मजबूरी के बीच सकारात्मक व समाज को जोड़ने वाली घटनाओं, समस्याओं को प्रमुखता दे और नित घट रही मानवाधिकार हनन की घटनाओं की कवरेज क्रम

में पाठकों को उनके सैद्धान्तिक और व्यवहारिक पहलुओं से अवगत कराये।[7]

न्यायमूर्ति एम0 काटजू अध्यक्ष प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया ने अपने एक संबोधन में भारतीय मीडिया की कार्य प्रणाली के कुछ दोष बताये –

1. मीडिया अक्सर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है।

2. पेड न्यज की अधिकता।

3. मीडिया कई बार वास्तविक मुद्दे को दरकिनार कर कम महत्वपूर्ण मुद्दे को महत्पूर्ण बना देता है। जैसे देश के वास्तविक मुद्दे – अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, आवास एवं स्वास्थ्य समस्या के स्थान पर किसी बड़े फिल्म स्टार की पत्नी की प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी खबरें।[8]

मीडिया ट्रायल आज भारतीय लोकतंत्र में बड़ी समस्या है। टी0आर0पी0 बढ़ाने और मामले के सनसनीखेज प्रस्तुतिकरण के चक्कर में मीडिया अपराधिक मामलों में इतनी खोजबीन कर तथ्य प्रस्तुत करती है कि न्यायालय के निर्णय के पूर्व ही जनमानस के मस्तिश्क में आरोपी बेगुनाह या अपराधी बन जाता है। इस प्रक्रिया में आरोपी के निष्पक्ष ट्रायल के अधिकारों का अतिक्रमण हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का सही रूप में कार्य करना संभव नहीं है। मीडिया का एक नया चेहरा सामने आ रहा है कि कुछ मीडिया समूह सत्ता पक्ष और कुछ मीडिया समूह सत्ता विरोधी हैं और इस विरोध प्रतिरोध की प्रक्रिया में सत्य कहीं पीछे छूट जाता है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में वे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी अनदेखा कर देते हैं। क्या ऐसी मीडिया किसी भी लोकतंत्र व देष की सफलता में सहायक हो सकती है? मुम्बई एवं कष्मीर आतंकी हमले में टी.वी. के एक चैनल ने ऐसी रिर्पोटिंग की जिससे सुरक्षा एजेन्सियों की प्रत्येक गतिविधि आतंकी समूह को प्राप्त होती रही तथा देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी।

अन्त में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आदर्श सोसायटी घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कोयला घोटाले जैसे अनेक घोटालों को उजागर करने में मीडिया का ही योगदान रहा है। परन्तु 2जी स्कैम और राडिया टेप मामले में पत्रकारिता, राजनीति एवं औद्योगिक घरानों के आपसी सम्बन्धों को उजागर किया है। पैसा लेकर न्यूज न चलाने और ब्लैकमेलिंग के मामले भी सामने आये हैं। परन्तु भारतीय मीडिया की जिम्मेदारी है कि सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में वह अपनी जिम्मेदारी निभाये। सम्पूर्ण मीडिया को जनमानस के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और समाचार को समसनीखेज बनाने के चक्कर में व्यावसायिक प्रतिबद्धता और नैतिक मापदण्डों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय जनता के लिए वरदान है परन्तु यह अभिशाप न बन जाये इसलिए मीडिया को स्वयं नियामक तंत्र विकसित करना होगा।

सन्दर्भ :

1. दलाल, सिंह राजबीर – भारत में एग्जिट पोल और मीडिया की भूमिका, पृष्ठ 204, सं0 शर्मा, संजीव कुमार – भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, जनवरी–दिसम्बर 2010 अंक प्रथम–द्वितीय (संयुक्तांक)

2. दलाल, सिंह राजबीर – भारत में एग्जिट पोल और मीडिया की भूमिका, पृष्ठ 205, सं0 शर्मा, संजीव

कुमार – भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, जनवरी–दिसम्बर 2010 अंक प्रथम–द्वितीय (संयुक्तांक)

3. यादव, अनुपमा – बदशक्ल होते लोकतंत्र को सशक्त बनाता मीडिया, पृष्ठ 196–197, महिला विधि भारती, विधि चेतना की द्विभाषिक शोध पत्रिका, अप्रैल–जून 2011 अंक 67 ISSN-0976-004

4. mithiles2010, 25 July, 2015, m.jagranjunction.com

5. Indian Paid News & Scandal_wikipedia The Free Encyclopedia

6. दलाल, सिंह राजबीर – भारत में एग्जिट पोल और मीडिया की भूमिका, पृष्ठ 208, सं0 शर्मा, संजीव कुमार – भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, जनवरी–दिसम्बर 2010 अंक प्रथम–द्वितीय (संयुक्तांक)

7. जायसवाल, सुधा – भूमण्डलीकरण के दौर में मीडिया और मानवाधिकार, पृष्ठ 104, सं0 सिंह, नीलिमा – भूमण्डलीकरण और भारत में मानवाधिकार, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली

8. For detail see Manav Raising Indian in the context of fourth pillar 'opportunities and challenges, page 94-95 ed. Bajpai Arunoday, Rising Indian Domestic and External Opportunities and Challenges, SBPD Publications, Agra-Mathura Bypass Road, Agra